

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर 2025—अग्रहायण 7, शक 1947

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2025

क्र. 1325-3707285-2025-अड़तीस-3.—यतः, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर के कार्यकलापों एवं कुप्रबंधन के संबंध में उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है जिसमें उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किये बिना नहीं चलाया जा सकता है और विश्वविद्यालय के हित में ऐसा किया जाना समीचीन है;

अतएव, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 20 से 25, 40, 47, 48, 54 और 67 के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों के अध्वधीन रहते हुए, दिनांक 28 नवम्बर 2025 से लागू होंगे।

No. 1325-3707285-2025-XXXVIII-3.—WHEREAS, on the basis of material which has been made available regarding mismanagement of affairs of the Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur, the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the said University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) without detriment to the interest of the University and it is expedient in the interest of the University to do so;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby, directs that the provisions of Section 13, 14, 20, to 25, 40, 47, 48, 54 and 67 of the said Act shall apply to the said University from date 28th November 2025 subject to the modifications specified in the Third Schedule of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव.